COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी/टीकमगढ़/भू०रा०/2017/3163 ... 2101 198

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

1– परसदिया तनय जगना ढीमर , 2– किशोरी तनय जगना ढीमर ,

3– गनेशा तनय जगना ढीमर , 4– कन्हैया तनय मुलुवा ढीमर ,

5– काशी तनय रामप्रसाद ढीमर ,

निबासी– ग्राम देरी, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

............आवेदकगण

वनाम

1– नथुवा तनय करंजुआ ढीमर 2– धर्मा तनय करंजुआ ढीमर

निबासी– ग्राम गैंती , तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

2– राजस्व निरीक्षक, वृत खरगापुर, तह0 खरगापुर, जिला टीकमगढ़

.... अनावेदकगण

B-O-R 07 JUL 2017

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत खरगापुर तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ द्वारा प्र0क0 50अ/12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21/06/2017 एवं संपूर्ण सीमांकन प्रकिया से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 कमांक एक व दो द्वारा खसरा नंबर 146/2 रकवा 2.000 हैक्टेयर का सीमांकन अनावेदक कमांक 03 से कराया, अनावेदक कमांक 03 द्वारा बगैर सीमांत कृषकों को सूचनापत्र जारी किये एवं आवेदकगण को भी सूचनापत्र जारी किये बगैर ही दिनांक 05/06/2017 का सीमांकन दिखाकर अनावेदकगण का भूमि खसरा नंबर 146/2 के रकवा 0.400 हैक्टेयर पर आवेदकगण गनेशा, परसदिया, किशारी तनय जमना ढीमर तथा 0.800 हैक्टेयर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3163

परसदिया आदि विरूद्ध नथुवा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र रायकवार अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत खरगापुर तहसील खरगापुर, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 50/अ–12/2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21–06–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 7/3/19	